न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील//टी.ए./2585/2017/अलवर

हनुमान पुत्र श्योनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सुभाष पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण हाल निवासी मकान नम्बर 379–बी लक्ष्मण पथ विवेक विहार न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
2– द्वारका प्रसाद पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण हाल निवासी 6/159, एस.एफ.एस. अग्रवाल फार्म हाऊस, मानसरोवर, जयपुर।
3– कैलाश पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण हाल निवासी 6/159 एस.एफ. एस. अग्रवाल फार्म हाऊस,मानसरोवर, जयपुर।
4– दीपक पुत्र मदन जाति ब्राह्मण हाल निवासी मकान नम्बर 847, रामनगर शास्त्री नगर, जयपुर।
5– अमित पुत्र मदन जाति ब्राह्मण हाल निवासी मकान नम्बर 847, रामनगर शास्त्री नगर, जयपुर।
6– उप–पंजीयक, मुण्डावर।
7– तहसीलदार, मुण्डावर

.....असल–प्रत्यर्थीगण

8– पुरूषोतम पुत्र विशम्भर जाति ब्राह्मण निवासी सामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
9– श्याम सुन्दर पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण हाल निवासी एस.डी. 126 के सामने, श्याम भवन, शास्त्री नगर, बसन्तपुरा, जयपुर।
10– मु0 गिन्नी बेवा रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी सामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
11– धर्मपाल पुत्र फूलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम टीबावाली ढाणी सामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

....तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री सी.आर. मीना, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः

श्री शंकरलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री विकास पाराशर अधिवक्ता अप्रार्थी।

———

निर्णय

दिनांकरू 02-5-2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2008 में पारित निर्णय दिनांक 30-03-2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, मुण्डावर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी नंबर 132 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा, 134 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 142 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 269 रकबा 5.61 ऐयर वाके ग्राम सामदा तहसील मुण्डार जिला अलवर में स्थित है। यह आराजी वादी एवं तरतीबीगण प्रतिवादीगण के पिता मातादीन की खातेदारी की है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान बिस्वेदारी व जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सन् 1959 के समय भी वे काबिज काश्त थे और स्वतः ही इसलिए उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। 2015 की जमाबंदी में हनुमान व विशम्भर पुत्रान श्योनारायण ब्राह्मण निवासी शामदा ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर खातेदारी अपने नाम करा ली है, तब से आज तक इसी प्रकार का अंकन चला आ रहा है। इस पर असल प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया तथा ऐलानिया धमकी दी कि वे विवादित आराजी को बेचान कर देंगे। परीक्षण न्यायलय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस दिया गया। प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि एक वाद मु0नं0 586/ उनवानी मातादीन बनाम विशम्भर वगैरह दिनांक 11-11-1983 को दर्ज हुआ था जिसका निर्णय दिनांक 15-12-1993 को हो गया था। उक्त वाद में वादी ने वाद-कारण 08-11-1983 को उत्पन्न होना दर्शाया है तथा मौजूदा वाद में वाद-कारण दिनांक 25-9-2004 होना दर्शाया है। दोनों वाद में वाद-कारण एक ही है, जो विधि विरूद्ध है, वाद मियाद बाहर है। मौजूदा वादी सुभाष पूर्व वादी मृतक मातादीन का ही पुत्र है इसलिए पूर्व

वाद की भी पूर्ण जानकारी वादी सुभाष को थी। अतः वास्तव में वाद कारण दिनांक 25–9–2004 को पैदा नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2008 द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–03–2017 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय को निर्देशों सहित प्रकरण रिमाण्ड किया है। उक्त निर्णय दिनांक 30–03–2017 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय ने इस बात की तरफ गौर नहीं किया कि वर्तमान वादी सुभाष, पूर्व मृतक वादी मातदीन का ही पुत्र है, जिसे पहले प्रस्तुत किये गये वाद की जानकारी शुरू से थी इसलिए पूर्ण जानकारी होने के बाद भी दुबारा पेश किया वाद मियाद बाहर था तथा दोनों वादों में वाद कारण समान होते हुए भी पहले वाद में वाद कारण की दिनांक 8–11–83 तथा दूसरे वाद में वाद कारण की दिनांक 25–9–2004 अंकित की है । उपरोक्त स्थिति को देखते हुए भी परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2008 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिक प्रावधानों के अनुरूप वाद वादीगण खारिज किया हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को सरसरी तौर पर देखकर परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायलय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इस बात को नजरंदाज किया है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष उन्होंने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया, उसके साथ पूर्व वाद की नकल और निर्णय दिनांक 15–12–1993 एवं राजीनामा के आधार पर आदेश जो हुआ वह आदेश दिनांक 23–03–2007 आदि दस्तावेज भी पेश किये थे जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण खारिज किया था। अन्त में उनका

कथन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-03-2017 निरस्त किया जावे तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-6-2008 बहाल रखा जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का कथन है उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय में जो पूर्व में वाद उनवानी मातादीन बनाम विशम्बर पेश किया था, वह अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, इस पर उक्त वाद में गुणावगुण पर बहस सुनकर निर्णय पारित नहीं किया गया था इसलिए प्रस्तुत वाद में ना तो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधन लागू होंगे और ना ही रेसज्यूडीकेटा लागू किया जा सकता है। प्रकरण की वस्तुस्थिति को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-6-2008 को प्रकरण निर्देशों सहित रिमाण्ड किया है ताकि परीक्षण न्यायलय ने नये सिरे से उभय पक्ष की बहस सुनकर, साक्ष्य लेकर तनकीयात के आधार पर निर्णय कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित हैं जिसमें द्वितीय अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर ने निर्णय दिनांक 21-6-2018 में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन कर स्पष्ट अंकित किया है कि वादी सुभाष के हस्ताक्षर मौका पर्चा रिपोर्ट 27-03-1989, नकल मौका पर्चा 04-01-98, दैनिक डायरी दिनांक 08-11-88 पर हैं। इस प्रकार वादों की जानकारी के बावजूद भी वादी द्वारा इस बाद में बाई बाड ऑफ लॉ कॉज ऑफ एक्शन की दिनांक गलत तरीके से मनगढ़त दर्ज की है जिससे वाद वादी मियाद बाहर है। उपरोक्त निष्कर्ष अभिव्यक्त करते हुए परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज किया है।

8- न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजसव अपील प्राधिकारी, अलवर ने निर्णय दिनांक 30-02-17 में परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष

के बिल्कुल विपरीत यह अंकित किया है पूर्ववर्ती वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ था, उसका गुणावगुण पर निर्णय नहीं हुआ था इसलिए मौजूदा वाद पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान, मियाद का बिन्दु तथा रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं होते। लिहाजा मैरिट पर निर्णय करने के लिए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया है।

9– हमारे विनम्र मत में परीक्षण न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेजात का उल्लेख किया है उनका हमनें भी परिशीलन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद जिस समय परीक्षण न्यायालय द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था, वादी उस समय भी परीक्षण न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर वाद को पुनः नम्बर लेने के लिए कार्यवाही कर सकता था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया किया, क्योंकि सही तौर पर परीक्षण न्यायालय ने वाद वादी खारिज किया था। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

10– पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रकरण में समान वाद कारण होते हुए भी वाद–कारण में दिनांक बदलकर नये सिरे से वाद पेश किया गया है, जो उचित नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अदम पैरवी व अदम पैरवी में वाद खारिज होने के कारण उसी वाद–कारण के वाद को नये सिरे से लम्बी अवधि के बाद पेश किया गया है। एक बार न्याायलय द्वारा वाद खारिज होने के बाद लम्बी अवधि के बाद अर्थात मियाद बाहर पुनः वाद में सुनवाई किया जाना हम कतई उचित नहीं समझते है।

11– परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए सही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। उन्होंने केवल रेसज्यूडीकेटा, मियाद एवं पूर्ववती वाद के गुणावगुण पर निर्णय होकर अदम पैरवी व अदम हाजरी में निर्णय खारिज होने का अंकन किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–03–2017 को अस्पष्ट एवं अविधिक निर्णय पारित कर प्रकरण को रिमाण्ड किया है, जो कतई न्यायिक निर्णय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

12– परिणामतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 30–03–2017 अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा का निर्णय दिनांक 21–6–2008 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी0आर0मीना)
सदस्य